

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 222]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2011—चैत्र 25, शक 1933

क्र. 9965-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचना एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कंडिका 92(3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता श्री अजय सिंह, सदस्य को विधिवत् नेता प्रतिपक्ष मान्य किया गया है.

डॉ. ए. के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.